

प्रिय अभिभावकों और प्रिय बच्चों,

नए सत्र 2023-24 में आपका स्वागत है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है। स्कूल समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:40 बजे तक है। छात्रों के लिए प्रवेश का समय सुबह 7:00 बजे से 7:20 बजे तक है।

1. केवीएस मानदंडों के अनुसार यूनिफार्म साफ-सुथरी होनी चाहिए। इसी प्रकार स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी दिन के अनुसार उचित ढंग से धारण किया जाना चाहिए। छोटी मोहरी वाली पेंट वर्जित है। 1 अप्रैल 2023 से ग्रीष्मकालीन यूनिफार्म में विद्यालय आना है।

2. प्रतिदिन जूते साफ -सुथरे और पॉलिश किये हुए होने चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का अत्यधिक ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे -कटे हुए नाखून, ठीक से कटे बाल , अच्छी तरह से धुले हुए बाल और दो चोटी लाल रिबन के साथ लड़कियों के लिए, छोटे बाल होने पर हेयर बैंड लगे होने चाहिए। सब कुछ केवीएस मानदंडों के अनुसार और छात्रों की मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए।

3. विद्यालय में नेल पॉलिश, टैटू, स्टाइलिश हेयर स्टाइल या हेयरकट, महंगी घड़ियाँ और गहनों की अनुमति नहीं है।

4. छात्रों को अपनी पानी की बोतल और टिफिन खुद लाना होगा। दोपहर के भोजन में छात्रों के स्वाद और रुचि के अनुसार पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिया जाना चाहिए, फास्ट फूड जैसे मैगी, पास्ता, सूखे स्नैक्स नहीं शामिल किए जाने चाहिए।

5. लगातार दो सत्रों में महामारी के कारण बड़े शैक्षणिक अंतर और पढ़ाई के नुकसान को भरने के लिए स्कूल में नियमित रहें। पूर्व स्वीकृत अवकाश अथवा सूचना के बिना विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर अनुशासन का उल्लंघन माना जायेगा तथा उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

6. तीन दिन के अवकाश की स्वीकृति करने के लिये कक्षा शिक्षक को अधिकार दिया गया है। तीन दिन से अधिक की छुट्टी कक्षा शिक्षक के माध्यम से प्राचार्य द्वारा स्वीकृत करायें।

7. यदि आप अपने बच्चे के शैक्षणिक मुद्दों के संबंध में प्रधानाचार्य से मिलना चाहते हैं, तो पहले कक्षा शिक्षक से संपर्क करें और कक्षा शिक्षक की उपस्थिति में स्कूल के समय के ठीक बाद प्रधानाचार्य से मिलें। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रधानाचार्य से सीधे मुलाकात किया जा सकता है।

8. स्कूली बच्चों को स्कूल के बाद आसपास की गलियों में घूमते नहीं देखा जाना चाहिए अन्यथा छात्रों के लिए आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।

9. विनम्र सलाह: यदि छात्र/छात्राओं के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कृपया वाहन चलाने की अनुमति न दें। लाइसेंस होने की स्थिति में, प्रधानाध्यापक द्वारा दी गई लिखित अनुमति पर स्कूल में वाहन रखने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए स्कूल के आसपास कोई भी वाहन खड़ा नहीं करना चाहिए।

10. स्कूल में मोबाइल फोन सख्त वर्जित है और यहां यह उल्लेख करना उचित है कि मोबाइल की लत को धीरे-धीरे दूर करने के लिए छात्रों को मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसे छात्रों के बीच सामाजिक-मनोवैज्ञानिक असंतुलन के प्रमुख कारण के रूप में पहचाना जाता है।

छात्रों के लिए विस्तृत आचार संहिता जानने के लिए आप के.वी.एस. शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 60 का अवलोकन कर सकते हैं। (उसकी की एक प्रति यहां संलग्न है।)

हमारे बच्चों के संभावित विकास के लिए आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। हम और आप सभी हितधारकों के साथ, हमारे भविष्य के नागरिकों के सुखी संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए अद्भुत सीखने का माहौल बना सकते हैं। जय हिन्द !!

अनुच्छेद 60 (Article 60.) For Students

a) The following acts and conduct on the part of the students will amount to misconduct:

(i) Misbehavior towards teachers or any other employee of the school.

(ii) Intentional disturbance of classes.

(iii) Absence from classes without the permission of the teacher/ Vice-Principal / Principal

(iv) Bullying / intimidation of others.

(v) Eve-teasing / misbehavior towards girl-students.

- (vi) Damaging/ disfiguring school property.
- (vii) Propagating a strike / disruption of classes.
- (viii) Association with banned organizations.
- (ix) Propagating communal / caste feeling amongst the students.
- (x) Indulging in physical violence in any manner.
- (xi) Disobeying lawful orders of the teacher / Vice – Principal/ Principal
- (xii) Bringing unauthorized people / articles inside the school.
- (xiii) Theft / pilferage of school/ students' property.
- (xiv) Any behavior unbecoming of a student.
- (xv) Indulging in acts of moral turpitude.

b) In above acts of misconduct, Principal shall take suitable action as per observation of the disciplinary committee depending on the gravity of the misconduct, which may include:

- (i) Oral / written warnings to the student and parents.
- (ii) Suspension from attending classes / school for a specified period.
- (iii) Recovery of loss to school property
- (iv) Issue of Transfer Certificate
- (v) Expulsion / rustication from school.